

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक-23/5/2018


क्रमांक-1036/109/आउशि/अनु.ब./18. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक-3305/38-1788, भोपाल, दिनांक 03/08 नवम्बर-1988 एवं पृ0 क्र0 3306 दिनांक 3/8 नवम्बर 88 एवं पृ0 क्र0 डी.362/89/सी-3/38 दिनांक 17.2.89, क्रमांक- एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28 अक्टूबर-1999 तथा क्रमांक- एफ-1 (43)/05/1/अइतीस, भोपाल, दिनांक 29.1.2008 एवं आदेश क. एफ-1-35/0/1-38 दिनांक 25 अगस्त 2009 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों/कीड़ाधिकारी को उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में अंकित दिनांक से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (3000-5000/10000-15200) / प्रवर श्रेणी वेतनमान(3700-5700/12000-16300) में स्थानन किया जाता है:-

स.क.	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि
1	2	3
इस्लामिया करीमिया महाविद्यालय, इंदौर		
1	डॉ.शबाना खान, सहा.प्राध्या.इतिहास	25.1.17(प्रवर श्रेणी)
एम.के.एच.एस.गुजराती कन्या महाविद्यालय, इंदौर		
2	श्रीमती सुजाता देशपांडे, सेनि कीड़ा अधिकारी	27.7.98(वरिष्ठ श्रेणी) 27.7.03(प्रवर श्रेणी)

2. उक्त वेतनमान में वेतन का भुगतान कार्यालय, आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के वेतन निर्धारण दल द्वारा अनुमोदन तथा प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण पर्ची जारी करने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा-

- (1) शिक्षाअधिकारी वेतन निर्धारण पर्ची जारी करने के पूर्व, त्रुटिपूर्ण एवं अधिक भुगतान संबंध की वसूली हेतु वचन पत्र प्राप्त करें ।
- (2) यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जांच / लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में, शिक्षाअधिकारी वेतन निर्धारण पर्ची जारी न करते हुए, वस्तुस्थिति से आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय को अवगत करावें ।
- (3) संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे हैं ।
- (4) शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावें । किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी ।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)



 (डॉ.सुषमा दुबे)
 अपर संचालक(वित्त)
 उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

निरंतर....2

पृ०क०- 1037 /109/ आउशि/अनु.ब./18
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 23/5/2018

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव,, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
6. संबंधित उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,,मध्यप्रदेश ।
8. कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
9. वि.क.अ.(आई.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
10. वि.क.अ.(न्याया.प्रकोष्ठ),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर याचिका क्रमांक 1710/16 एवं अवमानना याचिका क्रमांक 686/18 के परिप्रेक्ष्य में ।
11. प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी, संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय,,मध्यप्रदेश ।
12. प्राचार्य, संबंधित अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश । कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध करावे ।
13. कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्यप्रदेश ।
14. संबंधित सहायक प्राध्यापक, अशासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महावि०,मध्यप्रदेश ।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश